बिहार में रांची में डोरन्डा स्थित श्यामली कालोनी में निर्माण कम्पनियों द्वारा मजदूरों का शोषण

115. श्री हुकमदेव नारायण यादव :

डा० बापू कालदाते :

डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद सदस्यों ने 20 दिसम्बर, 1985 के अपने पत्र में यह पूछा है कि उन पांच कम्पनियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है, जो बिहार के रांची में डोरन्डा नामक स्थान पर श्यामली कालोनी के निर्माण कार्य में उनके द्वारा लगाए गए मजदूरों का शोषण करने की दोषी पाई गई थी ;

(ख) उनके विरुद्ध लगाए गए कौन-कौन से आरोप प्रमाणित हो चुके हैं; और

(ग) इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) संसद सदस्य श्री हुकमदेव नारायण यादव ने 4.4.1985 को एक पत्र लिखा था जो, डोरन्डा, रांची बिहार में स्थित श्यामली कालोनी में निर्माण श्रमिकों के अभिकथित शोषण के बारे में था । इस मामले की बिहार सरकार के माध्यम से जांच-पड़ताल करवाई गई थी और माननीय संसद सदस्य को सूचित किया गया था कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, के अधीन पांच ठेकेदारों के खिलाफ अभियोजन मामले दर्ज किए गए हैं । उक्त माननीय संसद सदस्य ने फिर 20.12 1985 को एक पत्र लिखकर यह मांग की कि राज्य श्रम विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए । और ठेकेदारों के खिलाफ दांडिक कार्रवाई की जानी चाहिए । उन्होंने भविष्य निधि की देय राशियों की अदायगी के बारे में भी जांच पड़ताल करने का अनुरोध किया था । माननीय संसद सदस्य को 6.2. 1986 को यह उत्तर भेज दिया गया है कि चूंकि उनके पत्र में उठाए गए अधिकांश मामले बिहार सरकार से संबंधित है, इसलिए उनके पत्र को आवश्यक कार्रवाई के लिए उस सरकार को भेज दिया जा रहा है और केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त से कहा जा रहा है कि भविष्य निधि की देय राशियों के बारे में जांच-पड़ताल करें । बिहार सरकार और केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को तदनुसार लिख दिया गया है ।

मजदूरों को विदेश भेजने वाली कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही

116. श्री हुकमदेव नारायण यादव :

डा० बापू कालदाते :

डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी :

क्या श्रम मंत्री मजदूरों को विदेश भेजने के कार्य में लगी कंपनियों द्वारा कथित धोखाधड़ी किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सभा में 3 दिसम्बर, 1985 को तारांकित प्रश्न 206 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केवल 14 कंपनियों के लाइसेंस रद्द किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) गैर पंजीकृत कंपनियों को मजदूरों को विदेश भेजने का अधिकार दिये जाने के क्या कारण हैं और क्या इसके लिए आव्रजन प्रमाणपत्र जारी करना आवश्यक था ;

(ग) क्या उन विदेशी कंपनियों, जिनके विरुद्ध आरोप लगाए गए थे, को सरकारों के साथ इस मामले को उठाया गया था; यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) जिन कंपनियों के विरुद्ध आरोप लगाए गए थे, उन्होंने कितने-कितने